राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–न0नि0 50–15/2015 **(Part)**– 4316

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),
पटना

पटना, दिनांक 11.12.24

विषयः– नगर पंचायत, खुसरूपुर के मुख्य पार्षद के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।
प्रसंगः– CWJC No 13098/2024 में दिनांक 05.12.2024 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक **CWJC No 13098/2024 में दिनांक 05.12.2024 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश पारित कर नगर पंचायत, खुसरूपुर** के मुख्य पार्षद के रिक्त पद पर निर्वाचन कराने का आदेश दिया गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007, बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के संगत प्रावधानों के अधीन **उक्त रिक्त पद पर दिनांक 27.12.2024 को निर्वाचन कराने का निदेश दिया जाता है।**

3. कृपया **मुख्य पार्षद** के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना संलग्न प्रपत्र **'क'** में अविलंब निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाय की मुख्य पार्षद के निर्वाचन हेतु **दिनांक 19.12.2024 तक सूचना सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित मुख्य पार्षद को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दिया जाए।**

4. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि अपने जिले में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता स्तर के किसी पदाधिकारी को संबंधित चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाय। प्रतिनियुक्त प्रेक्षक का नाम/पदनाम/मोबाईल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक **17.12.2024** के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाय। प्रेक्षक पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु इस पत्र की प्रति **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना** को भी दी जा रही है।

5. मुख्य पार्षद के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। वीडियोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. उक्त निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व प्रेषित पत्रांक 2619 दिनांक 24.05.2017 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के आलोक में संपन्न किए जायेगें। यदि किसी कारणवश आयोग के उपरोक्त पत्रों की प्रति आपके कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रही हो तो वैसी स्थिति में विशेष दूत भेजकर आयोग से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इन पत्रों की प्रति निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय। **कृप्या निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के उपरोक्त पत्र का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि मुख्य पार्षद के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।**

7. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
11/12/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक न0नि0 50–15/2015 **(Part)**– 4316

पटना, दिनांक 11.12.24

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा), बिहार/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/12/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

11.12.24